न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 213/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/287

निर्णय दिनांक 22.11.2022

श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी चेतनदास जाति स्वामी निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शेरमल सोनादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट श्रीडूंगरगढ़ जरिये प्रबन्धक ट्रस्टी कमेटी जगदीशप्रसाद पुत्र शेरमल मूंधड़ा (माहेश्वरी) निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचंद मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1589/710 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ है। उक्त खसरा भूमि के पुराने खसरा नम्बर 624/428 रोही श्रीडूंगरगढ़ रहे है। प्रार्थिनी ने उक्त खेत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद किया था। प्रार्थिनी द्वारा खरीद शुदा उक्त खेत के वर्तमान राजस्व नक्शा के अनुसार आसे—पासे इस प्रकार से है :—

उतर	श्रीडूंगरगढ़ से दूसारणा मार्ग
दक्षिण	एन.एच. 11 व भूमि शारदादेवी व शमीम बानो
पूर्व	शेष ख.नं. 624/428 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 702
पश्चिम	शारदादेवी व शमीम बानो व श्रीडूंगरगढ़ से दूसारणा मार्ग

सेटलमेन्ट 2061 से पूर्व प्रार्थिनी का खेत राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा एक्स में विक्रय पत्र में अंकितानुसार सड़क एन.एच. 11 के उतर में दर्शाया हुआ था। प्रार्थिनी का आज भी मौके पर सड़क एन.एच. 11 के उतर में कब्जा, उपयोग—उपभोग उपर्युक्त आसा पासा के अनुसार लगातार रूप से चला आ रहा है और प्रार्थिनी ने अपने खेत के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण करवा रखा है, सीमाबंदी की हुई है। सेटलमेंट के दौरान प्रार्थिनी को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थिनी के खेत खसरा नंबर 1589/710 को खसरा नम्बर 1590/710 के हिस्से के रूप में दर्शा दिया गया, जबकि प्रार्थिनी के उक्त खरीद शुदा खेत का कब्जा खसरा नंबर 702 के पश्चिमी तरफ एक बीघा भूमि छोड़कर स्थित है, खसरा नम्बर 1590/710 व खसरा नम्बर 702 की खातेदारी एक ही व्यक्ति की है। प्रार्थिनी के खेत का मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया हुआ है, जबकि सेटलमेंट से पूर्व नक्शा में प्रार्थिनी का खेत मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार दर्शाया हुआ था। प्रार्थिनी का खेत खसरा नंबर 1589/710, खेत खसरा नंबर 624/428 का ही भाग रहा है, परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थिनी के खेत को नक्शा एक्स में खसरा नंबर 626/428 के स्थान पर खसरा नंबर 1590/710 के भाग के रूप में दर्शाया गया है, जो गलत है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से प्रार्थिनी के खेत को मौका स्थिति के विपरित दर्शाने होने से प्रार्थिनी को परेशानी हो रही है। प्रार्थिनी सेटलमेन्ट व राजस्व कर्मचारियों की गलती को दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.15 13:01:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

करवाने की अधिकारिणी है जिसके लिए प्रार्थिनी ने अप्रार्थी सं. 2 राजस्व अक्स दुरुस्त करवाने का दिनांक 22.09.2022 को निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 2 ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो तो प्रार्थिनी ने अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थिनी के खरीद शुदा खेत का मौका स्थिति के अनुसार नक्शा अक्स में तरमीम करने का दिनांक 22.09.2022 को ही निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि सेटलमेन्ट के दौरान हुई गलती को मैं नहीं सुधार सकता, आप सक्षम अधिकारी से आदेश लेकर तभी मैं राजस्व अकस में संशोधन कर तरमीम कर सकता हूं, ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व अक्स में दुरूस्ती करवाकर तरमीम करने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थिनी का खेत खसरा नंबर 1589/710 को खसरा नम्बर 1590/710 के पास हटाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खसरा नम्बर 702 के पश्चिमी तरफ 0.2529 हैक्टेयर भूमि छोड़ते हुए तरमीम किया जावे। प्रार्थिनी के खेत की तरमीम संलग्न नक्शा अनुसार की जानी चाहिए, इसी अनुसार प्रार्थिनी का कब्जा काश्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड खेत खसरा नंबर 1589/710 को खसरा नंबर 1590/710 के पास से हटाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खसरा नंबर 702 के पश्चिमी तरफ 0.2529 हैक्टेयर भूमि छोड़ते हुए तरमीम किया जावे तथा नक्शा में दर्शित खसरा नंबर 1589/710 की भूमि खसरा नंबर 1590/710 में शामिल की जावे, तदनुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावे व उसकी पालना करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में अप्रार्थीगण संख्या 2 व स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1589/710 को खसरा नंबर 1590/710 के पास से हटाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खसरा नंबर 702 के पश्चिमी तरफ 0.2529 हैक्टेयर भूमि छोड़ते हुए तरमीम किये जाने तथा नक्शा में दर्शित खसरा नंबर 1589/710 की भूमि खसरा नंबर 1590/710 में शामिल की जाकर तदनुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक २२.11.2022 को मेरे द्वारा सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.15 13:01:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)